दिल्ली बजट 2015–16 की विशेषताएं

1. रा.रा.क्षे. दिल्ली का वर्ष 2015–16 के लिए कुल बजट अनुमान 41129 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

   - योजना बजट –19000 करोड़ रुपये
   - गैर–योजना बजट –22129 करोड़ रुपये

2. 2015–16 के बजट के लिए कुल प्रस्तावित 41,129 करोड़ रुपये की राशि 2014–15 के संशोधित अनुमान 34,790 करोड़ रुपये से 18 प्रतिशत अधिक है।

3.1 यह देश का पहला 'स्वराज बजट' है, जो नागरिकों, शिक्षाविदों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, RWAs, नागरिक समितियों, व्यापार संगठनों, कारपोरेट घरानों आदि से प्राप्त बहुमूल्य जानकारी और सुझावों पर आधारित है। यह भारत का प्रथम भागीदारीपूर्ण बजट है।

3.2. एक नई पहल के रुप में 253 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ ''स्वराज निधि'' की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जिसके जरिये नागरिक अपने क्षेत्र के विकास के लिये स्वयं चुने हुए कार्यक्रमों को लागू कर सकेंगे।

3.3 स्वराज निधि के तहत 11 विधानसभा क्षेत्रों में प्रयोग के आधार पर प्रत्येक के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। शेष 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक के लिये 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

3.4 दिल्ली सरकार ने शासन की प्रक्रिया में नागरिकों को निर्णय करने का अधिकार प्रदान किया है

4. प्रत्येक राजस्व जिले में 'दिल्ली नगर विकास एजेंसी (डीयूडीए)' नाम की एक नई एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से नागरिकों द्वारा स्वराज फंड और माननीय विधायकों द्वारा एम.एल.ए. फंड के अंतर्गत अनुशंसित किए गए कार्यों को निष्पादित किया जायेगा।

5. स्थानीय निकायों को 2015–16 में वित्तीय सहायता के रूप में कुल 5,908 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं, जो कुल बजट का 14.4 प्रतिशत है।

6.1 सरकार ने शहरी शासन प्रणाली और सार्वजनिक सेवाओं का वितरण सर्वाधिक पारदर्शी व सुचारु ढंग से करने की प्रक्रिया शुरू की है ताकि रिश्वत को समाप्त किया जा सके और दिल्ली को देश का प्रथम भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाया जा सके।

6.2 एस.डी.एम. ऑफिस से विभिन्न तरह के प्रमाणपत्र जारी करने में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाएं शुरू की हैं।

7. सरकार ने बिजली के बिलों में कमी, नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक परिवार को हर महीने 20,000 लीटर पानी की निशुल्क आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण उपाय किए हैं जिसके लिये 1690 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव है।

8. दिल्ली सरकार ने प्याज और आलू का सुरक्षित भंडार बनाने का निर्णय किया है और इन वस्तुओं की कमी होने की स्थिति में उन्हें बाज़ार में लाया जायेगा।

9. 2015–16 में दिल्ली के सभी कालेजों और ग्रामीण क्षेत्रों को निःशुल्क वाई–फाई सेवा उपलब्ध कराई जायेगी।

10. लाइसेंस देने की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा और तत्संबंधी प्रक्रिया को आसान बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। यह समिति अपनी सिफारिशें 31 जुलाई, 2015 तक पेश करेगी।

11. व्यापार करने में आसानी और शीघ्र निर्णय लेने के कारण दिल्ली जल्दी ही व्यापार के लिए सर्वाधिक वरीयता वाला स्थान बन जाएगा।

12. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विश्व की अन्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों में समन्वय करने के लिए वित्त एवं योजना विभाग के अंतर्गत एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा।

13.1 शिक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। 2015–16 में इस क्षेत्र के लिए 4570 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। यह पिछले वर्ष के 2219 करोड़ रुपये के व्यय से 106 प्रतिशत अधिक हैं। यह देश में पहला अवसर है जब किसी सरकार ने शिक्षा के बजट में दो गुना बढ़ोतरी की है।

13.2 सरकार की कार्यसूची में सभी 1011 सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है ।

13.3 आधुनिक सुविधाओं और ढांचे के साथ 50 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा तदुपरांत सभी स्कूल मॉडल स्कूल बन जाएंगे। 236 नए स्कूल खोलने की योजना है।

13.4 सरकारी स्कूलों के सभी क्लासरूमों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

13.5 वर्ष के अंत तक 20,000 नियमित शिक्षकों की भर्ती किए जाने की संभावना है ताकि विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात में सुधार लाया जा सके।

13.6 उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी बिना किसी कोलेटरल या मार्जिन राशि के 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

13.7 महिला विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज की दर सामान्य ब्याज दरों से कम होगी।

13.8 खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'पे एंड प्ले' स्कीम यानी भुगतान करो और खेलो कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत आम आदमी मामूली शुल्क अदा करके सरकारी खेल परिसरों और स्टेडियमों की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

13.9 दिल्ली सरकार व्यावसायिक और कौशल विकास में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 310 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

13.10 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी को दो प्रमाणपत्र – एक सामान्य शिक्षा और दूसरा कौशल शिक्षा के लिए देने की योजना है।

13.11 प्रत्येक पॉलिटैक्निक में 100 सीटों करने की योजना है।

13.12 रन्होला, छतरपुर और बक्करवाला में 3 नए आईटीआई खोलने की योजना है। 5 नए पोलिटेक्निक संस्थान – उत्तरी, उत्तर–पूर्वी, मध्य, नई दिल्ली और पश्चिमी जिले में एक–एक खोलने की योजना है।

13.13 नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान का उन्नयन एक विश्वविद्यालय के रूप में किया जाएगा, जिससे 5 वर्ष की अवधि में इस संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या 3000 से बढ़ा कर 12000 की जाएगी।

13.14 अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में इन–क्युबेशन सैंटर स्थापित किये जायेंगे।

14.1 नांगलोई, सिरसपुर और मादीपुर में कुल 1800 बिस्तर क्षमता के 3 नए अस्पताल खोलने की योजना है।

14.2 11 मौजूदा अस्पतालों को नया रुप देने और उनके उन्नयन की योजना है, जिससे अगले 2 वर्षों में इन अस्पतालों में 4000 नए बिस्तर जोड़े जाएंगे।

14.3 सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली के सभी भागों में 500 "मोहल्ला क्लिनिक" खोलने की योजना बना रही हैं

14.4 मोहल्ला क्लिनिकों में आने वाले रोगियों को निदानात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य दिल्ली में आधुनिक सुविधाओं के साथ 5 केंद्रीयकृत प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी।

14.5 सरकार खेलों के दौरान घायल होने वाले खिलाड़ियों के पुनर्वास के लिए लोकनायक अस्पताल में एक अत्याधुनिक ट्रॉमा केयर सेंटर खोलने की योजना बना रही है जिसमें आईसीयू और ओटी सुविधाओं सहित 100 ट्रॉमा बिस्तरों की व्यवस्था होगी।

14.6 आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क बिस्तर सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की जाएगी।

14.7 स्वास्थ्य आंकड़े दर्ज करने और दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में पंजीकरण और उपचार का रिकॉर्ड रखने के लिए व्यक्तियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे।

14.8 धर्मार्थ क्लिनिकों/औषधालयों के जरिए दिल्ली के नागरिकों को निःशुल्क औषधियां प्रदान की जाएंगी।

15.1 सरकार 2016 के अंत तक डीटीसी के लिये 1380 सेमी–लो–फ्लोर बसें, 500 मिडी बसें खरीदेगी और क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत लगभग 1000 नई बसें शामिल करेगी।

15.2 यात्रियों की अलग अलग तरह की जरूरतें पूरी करने के लिए सार्वजनिक–निजी–भागीदारी क्लस्टर योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र से विभिन्न विशेषताओं वाली 10,000 बसें शामिल करने का प्रस्ताव है।

15.3 एनसीआर के लिए करीब 5500 नए ऑटो परमिट जारी किए जा रहे हैं।

15.4 करीब 1200 नए बस क्यू शेल्टर्स बनाने का प्रस्ताव है।

15.5 चालू वर्ष में 64 मेट्रो फीडर मार्गों पर करीब 304 नई मिनी बसें शामिल करने का प्रस्ताव है।

15.6 अंतिम मील तक यातायात उपलब्ध कराने के लिए सरकार दिल्ली में ई–रिक्शा को प्रोत्साहित कर रही है। ई–रिक्शा की खरीद पर 15,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

15.7 दिल्ली सरकार ने टैक्सियों और ऑटो सहित सभी सार्वजनिक वाहनों के लिए जीपीएस प्रणाली अनिवार्य कर दी है ताकि वाहनों की स्थिति का पता लगाया जा सके।

15.8 सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव है।

15.9 दिल्ली सरकार ने सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में मार्शल तैनात करने का फैसला किया है ताकि अपराध का भय समाप्त किया जा सके और महिला यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

15.10 वास्तविक समय सारणी उपलब्ध कराने के लिये यात्री सूचना प्रणाली शुरु की जायेगी।

16.1 दिल्ली सरकार निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ कामकाजी महिलाओं के लिए 6 होस्टल बनाने की योजना बना रही है।

16.2 सरकार स्लम और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 300 शिशु सदन (क्रेच) सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रही है।

16.3 चालू वित्त वर्ष के दौरान फेज–1 में कांतिनगर, चितरंजन पार्क, रोहिणी, पश्चिम विहार और छतरपुर में नए वृद्धावस्था आश्रम का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

16.4 दिल्ली सरकार ने ड्यूटी के समय बलिदान करने वाले रक्षा सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों के सदस्यों जो दिल्ली के निवासी हों, के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने का निर्णय किया है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली होमगार्ड, दिल्ली सिविल डिफेंस कार्मिकों के मामले में भी ड्यूटी के दौरान बलिदान की स्थिति में समान मुआवजे की राशि अदा की जाएगी।

16.5 सरकार ने अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि से फसल नष्ट होने की स्थिति में 20,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को अनुग्रह राशि देने का निर्णय किया है।

16.6 निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को न्यूनतम अधिसूचित दिहाड़ी का भुगतान और बेहतर कल्याण सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक विकास मिशन प्रारंभ किया गया है।

17.1 शहर में पानी की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए पानी का उत्पादन बढ़ाने के वास्ते इरादत नगर में नया जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा और चंद्रावल तथा वजीराबाद स्थित जल शोधन संयंत्रों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

17.2 ''वाटर टैंकरों पर सार्वजनिक निगरानी'' के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया गया है ताकि लोग वाटर टैंकरों पर प्रभावी, सतत और कड़ी निगरानी रख सकें। 400 से अधिक टैंकरों में जीपीएस और वाटर सेंसर्स लगाए गए हैं और एक वेब आधारित प्रणाली के जरिए उनके संचालन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

17.3 ''जन जल–प्रबंधन योजना'' नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसका उद्देश्य जल और सीवर सुविधाओं के प्रबंधन में विकेंद्रीकृत ढंग से समुदाय को शामिल करना है।

17.4. नागरिकों को सक्षम और अनुकूल ढंग से जल एवं सीवर सेवाएं प्रदान करने के लिए ''स्वयं मीटर रीडिंग और बिल सृजन'' के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा।

18. दिल्ली में भविष्य में अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए जीएसडीएल नियमित अंतराल पर उपग्रह चित्र आंकड़े राजस्व विभाग को प्रदान करेगा, जिनमें नए अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण स्पष्ट रूप से रेखांकित किए जाएंगे ताकि उन्हें रोकने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी समुचित कार्रवाई कर सकें।

19. चालू वित्त वर्ष के दौरान एक ऊर्जा संरक्षण विधि की स्थापना की जाएगी ताकि ऊर्जा सक्षम परियोजनाओं और स्ट्रीट लाइटिंग आदि के लिए धन की व्यवस्था की जा सके।

20.1 वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी सम्बद्ध सरकारी एजेंसियों द्वारा 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे।

20.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बैटरी संचालित चार पहिए और दुपहिया वाहनों की नई खरीद पर दिल्ली सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी, जो केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त होगी।

दिल्ली बजट 2015–16 की विशेषताएं भाग – ख

- संभवतः भारत के इतिहास में यह प्रथम भागीदारी पूर्ण बजट है जिसमें जन साधारण की भागीदारी व्यय–योजना तथा राजस्व को बढ़ाना दोनों में रही।
- एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में दिल्ली के वितरक स्वरूप को देखते हुए कर प्रबंधन में पारदर्शिता और स्थिर कर प्रशासन में पूर्वानुमेयता को ध्यान में रखा गया है।
- कर क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिये व्यापारिक आसूचनाएं एकत्रित करना ही लक्ष्य था। कर दरों में बदलाव को गौण रखा गया है।
- वैट राजस्व का लक्ष्य अनुमानित 24000 करोड़ रुपये है जो सरकार के कुल राजस्व संग्रह लक्ष्य का 69 प्रतिशत है।
- लक्कड़ तथा इमारती लकड़ी जो कि महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्री है, इस पर वैट 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। चाकु–छुरी इत्यादि कटलरी वस्तुओं पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। प्रैशर कूकरों/कड़ाहियों जैसे अन्य रसोई के बर्तनों पर इतना ही है।
- अब सभी प्रकार के मोम पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत रहेगी। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के मोम (वैक्स) पर क्रमशः 5 प्रतिशत,12.5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाता है। इससे मोम की वैट दरों में अस्पष्टता समाप्त हो जाएगी।
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की बसों तथा दिल्ली में प्रवेश करने वाली टैक्सियों को छोड़कर डीज़ल से चलने वाले व्यवसायिक वाहनों पर 100 से 1500/– रुपये के शुल्क की वसूली ताकि दिल्ली में परिवेशी वायु गुणवत्ता

में सुधार के लिये पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, वे–इन–मोशन पुलों की संस्थापना तथा अन्य उपाय किये जा सकें।

- शराब पर आबकारी शुल्क संग्रह पद्धति में भारी बदलाव करते हुए परिवहन परमिट स्तर से आयात परमिट स्तर पर अंतरित करने का प्रस्ताव किया गया है। आबकारी शुल्क में परिवर्तन न करते हुए केवल लाइसेंस शुल्कों में बढ़ोतरी की जा रही है।
- दिल्ली मीडियम लिक्कर के अप्रचलित ब्रैंड को वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रस्ताव है।
- विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के नवीकरण की प्रक्रिया में सुधार करते हुए सरल बनाया जा रहा जिससे इस प्रक्रिया में लगने वाले समय में कटौती होगी।
- सभी प्रतिष्ठानों पर लागू विलासिता कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की जायेगी।
- मनोरंजन कर, केबल टी.वी./डी.टी.एच. सेवाओं पर 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये करने तथा सिनेमाघरों में टिकटों पर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
- कंपनियों तथा भागीदारी फर्मों के नाम पर पंजीकृत सभी निजी वाहनों के पंजीकरण कर में विद्यमान दरों पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है।
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि जुर्माने की दर विलम्ब के प्रत्येक महीने के लिये कमी राशि के 2 प्रतिशत की दर से युक्तिसंगत बनाई जाये। वर्तमान में, 5 रूपये से स्टाम्प ड्यूटी में कमी की मात्रा के 10 गुना तक, जुर्माना लग सकता है।

- अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक दृष्टि से पारदर्शी बनाने के लिये इसके कुछ अन्य प्रावधानों में संशोधन किया जाये।
- दिल्ली के कृषि भूमि के सर्कल रेट विद्यमान 53 लाख रूपये से बढ़ाकर राजस्व जिलों के अनुसार 1 करोड़ से 1.5 करोड़ करने का प्रस्ताव है।
- ऐसी कृषि भूमि जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग नीति लागू है कृषि भूमि की पृथक श्रेणी होगी जिसकी सर्कल दरों में राजस्व जिले के अनुसार 2.25 करोड़ रूपये से 3.5 करोड़ रूपये की सीमा तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।